संख्या-I/1262228/2026/9-8002(002)/2/2026
कम्प्यूटर संख्या- 2016869

प्रेषक,

उदय भानु त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मेरठ।

नगर विकास अनुभाग-8 **लखनऊ :दिनांक 11 मार्च , 2026**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में नगरीय क्षेत्रों में उपवन योजनान्तर्गत पार्कों का विकास एवं निर्माण योजनान्तर्गत पार्कों का निर्माण हेतु प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में पार्क व ओपन स्पेस के माध्यम से हरित क्षेत्र को बढ़ाये जाने हेतु 'पार्कों का निर्माण एवं विकास (उपवन) योजना' शासनादेश संख्या-1087/नौ-8-2025/05ज/2024, दिनांक 20.05.2025 (यथा संशोधित 07.07.2025) द्वारा निर्गत की गयी है। उक्त योजना के अंतर्गत नगर निगम मेरठ में पार्क व ओपेन स्पेस के निर्माण के लिए प्रस्ताव उपलब्ध कराये गये। मुख्य अभियंता, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 द्वारा उक्त प्रस्तावों का परीक्षण कर संस्तुति शासन को उपलब्ध करायी गयी है।

2- अतएव 'पार्कों का निर्माण एवं विकास (उपवन) योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राविधानित धनराशि में से नगर निगम मेरठ द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं स्वीकृत कार्ययोजना के सापेक्ष कॉलम-5 में अंकित कुल धनराशि **रूपये 283.123 लाख (रूपये दो करोड़ तिरासी लाख बारह हजार तीन सौ मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए एकमुश्त रूप में शत-प्रतिशत **रूपये 283.123 लाख (रूपये दो करोड़ तिरासी लाख बारह हजार तीन सौ मात्र)** को निम्नानुसार अवमुक्त किये जाने हेतु प्रस्तर-3 में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र.	**नगरीय निकाय का नाम एवं कार्य**	**परियोजना की कुल लागत**	**विधीक्षण के उपरांत अनुमानित लागत (लाख में)**	**प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की धनराशि (लाख में)**	**प्रथम किश्त के रूप में निर्गत की जाने वाली धनराशि (लाख में)**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
01	**नगर निगम मेरठ में हरित क्षेत्र की वृद्धि के दृष्टिगत ग्राम कुण्डा में उपवन योजना के अंतर्गत विकसित करने का कार्य।**	657.69	283.123	283.123	283.123
	योग(लाख में)	**657.69**	**283.123**	**283.123**	**283.123**

(रूपये दो करोड़ तिरासी लाख बारह हजार तीन सौ मात्र)

3- नियम एवं शर्तें:-

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल संबंधित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त आहरित धनराशि किसी अन्य/बैंक/डाकघर /पी०एल०ए०/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(2) योजना के संबंध में शासनादेश संख्या-1087/नौ-8-25-05ज/2024 दिनांक 20.05.2025, संख्या-1521/नौ-8-25-05ज/2024 दिनांक 07.07.2025, संख्या-1759/नौ-8-25-05ज/2024 दिनांक 06.08.2025 एवं संख्या-2070/नौ-8-25-05ज/2024 दिनांक 17.08.2025 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

(3) मियावाकी एवं अन्य संबंधित कार्य का ओ० एण्ड एम० संबंधित निकायों द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

(4) जिलाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर कार्य प्रारंभ कराया जाये। कार्य प्रारंभ कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि भूमि निर्विवादित है। कार्य प्रारंभ होने के उपरांत भूमि के विवादित पाये जाने तथा कार्य कराये जाने पर व्यय धनराशि को शासकीय धनराशि का अपव्यय मानते हुए उसकी वसूली संबंधित नगर निकाय से कराकर राजकोष में जमा करायी जायेगी।

(5) यदि निकाय के खाते में धनराशि स्थानान्तरित किये जाने की प्रक्रिया में कोई विलम्ब होता है तो इसके लिए संबंधित का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा एवं अवमुक्त धनराशि पर मिलने वाले ब्याज की गणना कर जिसे राजकोष में जमा किये जाने की व्यवस्था है, को संबंधित उत्तरदायी अधिकारी से जमा कराया जाएगा।

(6) यदि शासनादेश में स्वीकृत कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित हैं तो संबंधित नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी/सबंधित अधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि वे शासन/स्थानीय निकाय निदेशालय को तत्काल अवगत करायें।

(7) इस योजना के अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यों में कहीं पर गुणवत्ता की कमी अथवा निर्धारित मानक के विपरीत कार्य कराये जाते हैं तो इसके लिए संबंधित ठेकेदार, नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, नागर निकाय के महापौर/अध्यक्ष, चयनित आर्किटेक्टा/टाउन प्लानर तथा प्रभारी अधिकारी नगर निगम एवं नगर पालिका परिषद बराबर के उत्तरदायी होंगे।

(8) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य मद में स्वीकृत की जा रही, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाय। सामग्री उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(9) स्वीकृत कार्यो को शासन द्वारा अनुमोदित लागत पर ही पूर्ण कराया जायेगा। शासन द्वारा लागत के सापेक्ष यदि कम धनराशि अवमुक्त की गयी है तो उक्त कार्य को योजनान्तर्गत स्वीकृत अन्य कार्यो की बचतों/निकाय द्वारा स्वयं के स्रोतों से पूर्ण कराया जायेगा।

(10) स्वीकृत किये जा रहे कार्यो के कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत डिस्प्ले बोर्ड पर योजना का पूर्ण विवरण कार्यदायी संस्था एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।

(11) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों द्वारा किया जायेगा।

(12) वित्तीय मामलों से संबंधित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी/ सहायक लेखाधिकारी अथवा लेखा का कार्य देखने वाला अन्य अधिकारी जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेंगे।

(13) आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व संबंधित कार्यदायी संस्था/संबंधित स्थानीय निकाय का होगा। अतएव विभिन्न स्तर पर उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा अवधि में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) व्यय की गयी धनराशि का उपायोगिता प्रमाण-पत्र गठित किये गये आगणन में उल्लिखित कार्यों के सापेक्ष कार्यवार विवरण शासन तथा महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज को समायान्तर्गत उपलब्ध कराया जाये।

(15) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण /सक्षम स्थानीय प्राधिकारी से स्वीकृत कराया जाय।

(16) प्रस्तावित कार्य पूर्ण होने पर सम्प्रीक्षित लेखे अवश्य प्रस्तुत किये जायें।

(17) वित्तीय मामलों में संबंधित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन वित्त नियंत्रक/मुख्य वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित वित्त विभाग को दे दी जाय।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,83,12,300 (रुपये दो करोड़ तिरासी लाख बारह हजार तीन सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2217801910900 पार्कों का निर्माण एवं विकास मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक-27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

Digitally signed by
Udai Bhanu Tripathi
Date: 11-03-2026
13:51:14

भवदीय,

(उदय भानु त्रिपाठी)
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. कोषाधिकारी, मेरठ, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र०, लखनऊ।
4. निदेशक, स्थानीय निधि, लेखापरीक्षा, उ०प्र०, प्रयागराज।
5. महापौर नगर निगम मेरठ।
6. नगर आयुक्त, नगर निगम मेरठ।
7. संबंधित प्रभागीय वन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9, उत्तर प्रदेश शासन।
9. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

Digitally signed by
Paras Nath
Date: 11-03-2026
13:55:35

आज्ञा से,

(पारस नाथ)
अनुसचिव

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2025-2026
आवंटन दिनांक-11/03/2026

प्रेषण संख्या:- 1262228
आवंटन आदेश संख्या:- 001-I-1262228-2026-9-8002-002-2-2026-2016869
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2025-2026 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2217 - शहरी विकास(आयोजनेत्तर-मतदेय)
80 - सामान्य
191 - नगर निगमों को सहायता
09 - पर्कों का निर्माण एवं विकास

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	मेरठ-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	28312300 28312300	28312300 28312300
	योग	वर्तमान प्रगामी	28312300 28312300	28312300 28312300

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दो करोड़ तिरासी लाख बारह हजार तीन सौ
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दो करोड़ तिरासी लाख बारह हजार तीन सौ

(देवेश मिश्र)
संयुक्त सचिव